Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding law and order situation in West Bengal.

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अपका प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं। वहां हमारे 18 एमपीज और कई विधायक हैं। …* वहां साधारण नागरिक से लेकर एमएलए, एमपी या जनप्रतिनिधि की जान की कभी भी हानि हो सकती है, इसलिए आपका प्राटेक्शन जरूरी है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी के लोग फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर केवल राज्य सरकारों के लिए नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर का कानून केंद्र और राज्य का सम्मिलित कानून है। फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर लोगों के ऊपर जुल्म, अत्याचार हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं और केंद्र सरकार की दुहाई दी जाती है कि वह फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर रही है। आज बंगाल की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। आज विधायक और एमपी का फोन टेप किया जाता है। आपको पता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और मैंने 156 के क्लॉज-3 के तहत हाई कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करूं, आज 10 महीने हो गए हैं, राज्य सरकार के हाई कोर्ट के जो … * वे उस मामले को टालते जा रहे हैं। वे उस मामले को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकूं। इसलिए, आपका प्रोटेक्शन जरूरी है। हमारे तमाम एमपीज और वहां के नागरिकों को इस … *से मुक्त कराइए।

एक और छोटी-सी बात, वहां एनआईए को रोका जाता है, सीबीआई के अधिकारियों को मारा जाता है। एनसीबी को पश्चिम बंगाल में तुरंत भेजा जाए। हर थाने में ड्रग्स की बिक्री होती है, वहीं से ड्रग्स की सप्लाई होती है और निरीह नागरिकों को उस केस में फंसाया जाता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।